



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू०सी०पी०/06/70/2019/एफ०सी०

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:-जनपद - चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है० (पूर्व में 4.72 है०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/ROAD/21220/2016).

सन्दर्भ:-कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 1129/12-1 देहरादून: दिनांक 30-09-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 07-05-2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 13-03-2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अंतिम अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है० (पूर्व में 4.72 है०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3. प्रतिपूरक वनीकरण

- (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 6.6050 हे० अवनत वन भूमि मल्ला चाँदपुर II क० सं० 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाएगा और प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।
 - (ख) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के० एम० एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस० एम० सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू० एल० एम० पी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा इस पत्र के जारी होने के एक माह की अवधि के भीतर सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
 - (ग) कम से कम 50% ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाएगा।
4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा
 5. प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का भी अक्षरशः पालन किया जाएगा।
 6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 846 वृक्षों (including 288 saplings) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
 8. प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpass, अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।
 9. The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.

10. The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.
11. The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable.
12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
16. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।
18. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना उपरोक्त किसी भी शर्तों में किस भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
24. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीया,

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ 0 सी 0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CAMPA), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कक्ष क्रमांक ए-232, द्वितीया तल, अग्नि स्कंध, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003 (Email: nationalcampa-moefcc@gov.in).
4. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पत्रावली।